भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3289
12.07.2019 को उत्तर के लिए

एशियाई गोल्डन कैट्स

3289. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने अरूणाचल प्रदेश में लुप्तप्राय छह रंगों वाली एशियाटिक गोल्डन कैट का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को अरूणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में जानकारी है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और वैज्ञानिकों की इस खोज का क्या परिणाम निकला है;
(घ) क्या सरकार को विलुप्त होने के कगार पर खड़ी संकटापन्न ऐसी जीव-प्रजातियों की जानकारी है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) इकोलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका द्वारा प्रकाशित इकोलॉजी साइंटिफिक जर्नल के जून संस्करण के अनुसार, अरूणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में छह रंगों वाली एशियाटिक गोल्डन कैट नामश: टाइटली रोसेट, ग्रे, गोल्डन, ऑसलट, सिन्नामन, मेलानिस्टिक कैट की कैमरा ट्रैपिंग होने की सूचना है।

(ख) अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्य को ऐसा कोई अनुसंधान प्रकाशन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.) वर्तमान में मंत्रालय ने जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' में ''गम्भीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम'' घटक के अंतर्गत केन्द्रित संरक्षण कार्यक्रम के लिए 21 गम्भीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को अभिज्ञात किया है। इन 21 गम्भीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

वन्य पशुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके उपबंधों का उल्लंघन किए जाने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। सभी 21 अभिज्ञात गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को इस अधिनियम की अनुसूची । में शामिल किया गया है।

ii. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों का संरक्षण करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सृजन किया गया है।

iii. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार के लिए जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' में 'गम्भीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' घटक के अन्तर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****

अनुबंध

'एशियाई गोल्डन कैट्स' के बारे में दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री गजानन कीर्तिकर और श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3289 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

''गम्भीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम'' के अंतर्गत शामिल 21 गम्भीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची

1. स्नो ल्योपार्ड और हिमालय के ऊंचे स्थान
2. बस्टार्ड (फ्लोरिकन सहित) और ग्रासलैंड
3. डॉल्फिन और नदी प्रणालियां
4. हंगुल और अल्पाइन ग्रासलैंड
5. पश्चिमी घाट में नीलगिरि थार, रिज वन और शोला-ग्रासलैंड पारितंत्र
6. समुद्री कछुए
7. ड्यूगौंग और प्रवाल भित्ति तथा कच्छ वनस्पति
8. अंडमान प्रायद्वीप के एडिबल-नेस्ट स्विफ्टलैट और वन
9. एशियाई जंगली भैंस तथा ग्रासलैंड और मध्य तथा उत्तर भारत के नदी-वन
10. निकोबार द्वीपसमूह का निकोबार मेगापोड और लिटोरल वन
11. मणिपुर ब्रो-एंटलर्ड डीयर और फ्लोटिंग वाटर बॉडीज तथा ग्रासलैंड
12. गिद्ध
13. प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट में मालाबार सीवेट और कम ऊंचाई वाले नम वन
14. दी ग्रेट वन- हॉर्न्ड अथवा इंडियन रिनोसेरस और तराई ग्रासलैंड
15. एशियाई शेर
16. स्वैम्प डीयर
17. जेरडन्स कार्सर
18. रैड पांडा
19. नॉर्दर्न रीवर टेरापिन
20. क्लाउडिड ल्योपार्ड
21. अरबियन सी हम्पबैक व्हेल